



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1470]  
No. 1470]नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 20, 2008/अश्विन 28, 1930  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 20, 2008/ASVINA 28, 1930उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2483(अ).—केन्द्रीय सरकार, शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (3घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, का.आ. 1310(अ), तारीख 31 जुलाई, 2007, द्वारा तारीख 31 जुलाई, 2007 को भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना में संशोधन करती है।

2. उपर्युक्त अधिसूचना में खंड (क) में, '30 सितम्बर, 2008' अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर '31 अक्टूबर, 2008' अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3(10)/2007-एस.पी.-1]

नीलांजन सान्याल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना का.आ. 1310(अ), तारीख 31 जुलाई, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 20th October, 2008

S.O. 2483(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3D) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955, read with clause 4 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby amends the notification of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated the 31st July, 2007, vide S.O. 1310(E), dated 31st July, 2007.

2. In the said notification, in clause (a) for the figures, letters and words, "30th September, 2008", the figures, letters and words "31st October, 2008" shall be substituted.

[F.No. 3(10)/2007-SP-1]

N. SANYAL, Jt. Secy.

Note :- The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 1310(E), dated 31st July, 2007.